राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–280 / 2025

सुरेश कुमार बान्दड़ा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।
2. राजस्थान राज्य जिला कलेक्टर, (भूमि अभिलेख), बीकानेर।
3. तहसीलदार, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर।
4. बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर।
5. राजकुमार कस्वा, उप प्रधान, पंचायत समिति, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 30.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री तिरुपति चंद्र, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) को चुनौती दी है जिसके द्वारा अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक अधिकृत पद पर कार्यरत है उनका स्थानांतरण कानासर तहसील बीकानेर से बीकानेर विकास प्राधिकरण में किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी को राजनैतिक कारणों से स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार हमारे समक्ष प्रकट नहीं हुआ है। अपीलार्थी को केवल राजनैतिक कारणों से स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 30.09.2021 से कार्यरत है ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर पर्याप्त अवधि तक पदस्थापित रखने के पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. हमने अपीलार्थी के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया स्थानांतरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए है कि इसमें यह भी प्रावधान है कि विशिष्ट परिस्थितियों में और राज्य हित में चार वर्ष से पूर्व भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थानांतरण किया जा सकता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वे प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने इस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है और ऐसे प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, परिणामस्वरूप हम इस परीक्षण में कोई बल होना नहीं पाते हैं, अतः अपील खारिज की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)